वाणिज्य अ.ज.–858

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकड़वाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2021–22/प्रे 5032 दि: 31/3/22

आदेश

विषय – 'Tourism एवं Hospitality Sector को Industrial Sector' के रूप पूर्ण मान्यता दिये जाने के संबंध में

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट भाषण में पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान के दृष्टिकोण से Tourism एवं Hospitality Sector को Industry Sector के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial Norms के अनुसार Government Tariff एवं Levies देय होंगे। वर्तमान में माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा होटल व्यवसाय के लिए अघरेलू श्रेणी लागू है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों को औघोगिक श्रेणी में शामिल किये जाने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर निगम कार्यालय मे श्रेणी परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. DOP में सक्षम अधिकारी इन उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को स्वीकृत भार के अनुसार लघु, मध्यम और वृहद् औघोगिक श्रेणी में परिवर्तित कर सकेंगे।
3. 01.04.2022 या आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि जो भी बाद में हो, से उपभोक्ता के बिल व्यावसायिक श्रेणी के स्थान पर औघोगिक श्रेणी में जारी किये जायेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

MRaldi

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d/XEN-II/Comml. Order hindi